Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम मुकाम जोधपुर

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना कुडी भगतासनी, जिला जोधपुर पश्चिम।		01. श्री रामकिशन सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी पारवेडा, थाना सांडवा, जिला चुरू। 02. कुलदीप सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति राजपूत उम्र 36 साल पेशा व्यापार निवासी पुराना बास वार्ड नंबर 05 ईयारा, पुलिस थाना सांडवा, जिला चुरू 03.सुमेरराम उर्फ सुरेश गहलोत पुत्र श्री मोहनलाल जाति घांची गहलोत उम्र 38 साल निवासी निवासी गांव नंदवान पुलिस थाना विवेक विहार, जोधपुर पश्चिम।

किस्म मुकदमा सप्लाई विविध नं0 13/2025 (GCMS No. 2025/299

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर इस हुक्म तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
16.10.2025	पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी सं. 02 के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात बाबत वाहन ट्रक टैंकर नम्बर RJ–44–GA–1719 मय डीजल को सुपुर्दगीनामा व जमानत पर छोड़ने के संबंध में न्यायालय अति. जिला कलक्टर (द्वितीय), जोधपुर के आदेश दिनांक 28.10.2024 से असंतुष्ट होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका S.B. Criminal Misc (Pet.) No. 8047/2024 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 की प्रति मय स्वयं के सुपुर्दगीनामा एवं 02 व्यक्तियों के जमानत मुचलके तस्दीक कर जब्तसुदा वाहन मय उसमें मौजूद डीजल को रिलीज करने के संबंध में पालना हेतु निवेदन किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका S.B. Criminal Misc (Pet.) No. 8047/2024 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 का अवलोकन किया, जिसके अनुसार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने प्रकरण में न्यायालय अति. जिला कलक्टर (द्वितीय), जोधपुर के आदेश दिनांक 28.10.2024 में संशोधन करते हुए वाहन ट्रक टैंकर नम्बर RJ–44–GA–1719 मय उसमें मौजूद डीजल को याचिकाकर्ता श्री कुलदीप सिंह के स्वयं के 30 लाख रूपये के पर्सनल बोन्ड एवं 02 व्यक्तियों के प्रत्येक के 30 लाख रूपये के जमानतनामा पर ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि पर रिलीज करने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त के संबंध में अप्रार्थी सं. 02 के अधिवक्ता की दिनांक 15.10.2025 की बहस सुनी गई एवं अप्रार्थी सं. 02 के स्वयं सुपुर्दगीनामा तथा 02 व्यक्तियों के जमानतनामा को तस्दीक किया गया गया। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका S.B. Criminal Misc (Pet.) No. 8047/2024 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2025 की पालना में जब्तसुदा वाहन ट्रक टैंकर नम्बर आरजे–44–जीए–1719 के पंजीकृत स्वामी श्री कुलदीपसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 05 पुराना बास, ईयारा, पुलिस थाना सांडवा, तहसील बीदासर, जिला चुरू के स्वयं के 30 लाख रूपये के पर्सनल बोन्ड एवं 02 व्यक्तियों के प्रत्येक के 30 लाख रूपये के जमानतनामा के आधार पर रिलीज करने का आदेश दिया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी जोधपुर पश्चिम को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में जब्तसुदा उक्त टैंकर एवं उसमें मौजूद डीजल को रिलीज कर दिया जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी जोधपुर पश्चिम को तहरीर जारी हो। पत्रावली में उक्तानुसार इस न्यायालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हों (जवाहर चौधरी) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर	